

1/4/22

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 10/5/22...को पेश हो ।

10/5/22

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 7/6/22...को पेश हो ।

7/6/22

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 8/6/22...को पेश हो ।

08/06/22-

पत्रावली का पेश हुआ करीब छप्पिस
एकरण कोट पेट कर विवेक किन कि
साक्षी का उक्त उक्त एकरण की
ग्राहिक के सम्बन्ध है उन कोटि विवेक
नहीं है किन्तु उन उक्त उक्त
एकरण कोटि पेट कर विवेक किन कि
वकील साक्षी के एकरण कोटि पेट किन्तु
जाने के इस न्यायालय द्वारा जारी करारिक
विवेकाना डिप्लोमा 28/04/22 गिरस्त की
जाकर एकरण कोटि पेट है रकारिक किन
जाता है पत्रावली विवेक सुधार होकर
कारिक इत्तर हो ।

पुनी
बहायक कलेक्टर, गुडामालाबादी



Amjivim B...
cheels & rep...
28/2/22

Javanaram v prahaladram & ors
A.C. & S.D.O. - Gudamalani pag n.

श्री

वामे

श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO) महोदयजी,
गुडामालानी-बाडमेर



प्रार्थी :-

जवानाराम पुत्र प्रहलादराम उम्र 38 वर्ष

जाति रबारी निवासी जूडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम:-

विप्रार्थीगण:-

1. प्रहलादराम पुत्र धर्मराम उम्र 75 वर्ष
2. डूगराराम पुत्र प्रहलादराम उम्र 50 वर्ष
3. चतराराम पुत्र प्रहलादराम उम्र 48 वर्ष
जातियान रबारी निवासी जूडी सिन्धासवा हरनियान
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. श्रीमति जमना पुत्री प्रहलादराम पत्नि अनाराम
उम्र 46 वर्ष जाति रबारी निवासी सिवाडा तहसील
चितलवाना जिला जालौर
5. श्रीमति मतरा पुत्री प्रहलादराम पत्नी रूपाराम उम्र 44
वर्ष जाति रबारी निवासी डांबड तहसील गुडामालानी
जिला बाडमेर
6. श्रीमति शांति पुत्री प्रहलादराम पत्नी मेवाराम उम्र 30
वर्ष जाति रबारी निवासी तेतरोल तहसील चितलवाना
जिला जालौर
7. प्रतापा पुत्र धर्मा उम्र 60 वर्ष
8. श्रीमति पाचू पुत्री पुनमा उम्र 42 वर्ष

जवानाराम

Advocate
रामजीवन विश्वा
एडवोकेट
R/2125/09
Mo. 9414204665

जातियान रबारी निवासी जूडी सिन्धासवा हरनीयान
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

9. शाखा प्रबन्धक, पीएनबी शाखा गुडामालानी

10. श्रीमान उपपंजियक एव तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया
सहिता की वास्ते घोषणा व पाने स्थाई निषेधाज्ञा

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार से है :-

1. कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पेश किया है जिसमे वर्णित तथ्यो व दस्तावेजो से वादी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से सफलता मिलने की पुर्ण सभावना है।
2. कि पक्षकारान की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा जूडी पटवार हल्का सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर खसरा नम्बर 54 रकबा 8.8221 हैक्टर किस्म बारानी सोयम ,मौजा प्रेमनगर पटवार हल्का सिन्धासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 4.3544 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है । जो पक्षकार प्रार्थी एव विप्रार्थी सख्या 1 से 8 की पैतृक सहदायिक जोत है । हिन्दु पुरुश के पुत्र का जन्म से सहदायिकी सम्पति मे हक हो जाता है। और यह हक अपने पिता के बराबर का होता है।
3. कि इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जो प्रार्थी तथा विप्रार्थी सख्या 2 से 6 के पिता के हाथो मे थी , प्रार्थी एव विप्रार्थी सख्या 2 से 6 के अधिकार पिता के बराबर अधिकार जन्म से पैदा हो चुके थे। अर्थात प्रार्थी एव विप्रार्थी सख्या 1 से 6 तथा विप्रार्थी सख्या 1 को जो हिस्सा विरासत मे मिला उसमे अधिकार $1/7-1/7$ हिस्सा प्रत्येक पैदा हों चुके थे।

(Handwritten signature)

जवानाराम